रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CE 11/8/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 1986/अषाढ 18, 1908
No. 277 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 1986/ASADHA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1986

आदेश

का.आ. 411(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (च) के अधीन आदेश देने की शक्तियों का प्रयोग चावल कठल किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में तमिलनाडु राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी।

2. यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 माह की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा।

[संख्या 81-4/86-फसल प्रशासन-4]

पी.वी. शेनोय, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 9th July, 1986

ORDER

S.O. 411(E) :—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of the paddy straw variety, be exercisable also by the Government of the State of Tamil Nadu in that State.

2. This order shall remain in force for a period of 3 months commencing from the date of its publication in the Gazette of India.

[No. 81-4|86-CA.IV]

P. V. SHENOI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986